54

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1581–एक/2015 – विरूद्ध– आदेश दिनॉक 15–4–29015 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ – प्रकरण कमांक 28/2014–15

अवधेश कुमार सिंह देव पत्नि विश्वजीत सिंह
निवासी नरसिंग कालोनी टीकमगढ़
तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ----आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती अर्चनासिंह देव पत्नि विश्वजीत सिंह
जू देव निवासी करनगुंज वगिया महाराजपुरा
तहसील व जिला दतिया मध्य प्रदेश
2– छंदी अहिरवार पुत्र मल्थू अहिरवार
ग्राम नयाखेरा तहसील व जिला टीकमगढ़ --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श
(आज दिनॉक 3 – 8 –2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 28/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15–4–29015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–2 ने मजरा जनरल साहव स्थित भूमि सर्वे कमांक 138/2 रकबा 1.033 हैक्टर का पंजीकृत विकय पत्र संपादित किया। विकय पत्र के आधार पर केतागण का नामांत्रण ग्राम की नामान्तरण पंजी पर आदेश दिनांक 10–6–14

से किया गया। इस आदेश के विरूद्ध श्रीमती अर्चना सिंह व्दारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 28/14-15 अपील पंजीबद्ध की तथा अंतरिम आदेश दिनॉक 15-4-2015 पारित कर अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार कर लिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ प्रस्तुत लेखी बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 28/14-15 अपील की स्थिति यह है कि नामान्तरण आदेश दिनॉक 10-6-2014 के विरूद्ध श्रीमती अर्चना सिंह देव व्दारा दिनॉक 28-10-2014 को अपील प्रस्तुत की गई है जबकि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा इस अपील को प्रथमतः दायर करने में त्रृटिवश 28-7-14 की तारीख डाल दी है जो अपलेखन है क्योंकि मूल अपील मेमो पर अनुविभागीय अधिकारी ने 28-10 की तिथि अंकित की है तब दायरा 28-7-14 को हो ही नहीं सकता। अपीलांट ने भी अवधि विधान की धारा 5 में 28-10-14 को अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अतएव प्रथम आर्डरशीट के दिनांक 28-7-14 को सॅशोधित किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं।

5/ जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अंतरिम आदेश दिनॉक 15-4-2015 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ करने का प्रश्न है ? म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 में इस हेतु 30 दिवस की समयावधि निर्धारित है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ 6 पर संलग्न नामान्तरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा नामान्तरण करने के पूर्व श्रीमती अर्चनासिंह देव को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी नहीं किया है जिसके

कारण उनके व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के तथ्यों तथा पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। नामान्तरण आदेश दिनांक 10-6-2014 के विरूद्ध दिनॉक 28-10-2014 को अर्थात 4 माह 17 दिन वाद अपील प्रस्तुत की गई है।

1. भू राजस्व संहिता,1959 (म0प्र0) धारा 47- आदेश की सॅसूचना नहीं। आदेश की जानकारी होने के दिनांक से परिसीमा की गणना की जावेगी।
2. भू राजस्व संहिता,1959 (म0प्र0) धारा 47- सहपठित-50- पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य एंव दायित्व - उनके विवेक पर निर्भर है कि विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है अथवा नहीं ?

विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने 4 माह 17 दिन वाद प्रस्तुत अपील गुणदोष पर इसलिये विचार हेतु ग्राह्य की है क्योंकि राजस्व निरीक्षक व्दारा नामांत्रण करते समय श्रीमती अर्चना सिंह देव पक्षकार नहीं रही है। अतएव अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 15-4-15 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 28/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15-4-29015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर